क0-4228 प0प0 सं0-1617072 दिनांक 31-3-17

पत्रसं0-ज्वा0कमि0 (वि0अनु0शा0) मु0- /स0प0/स्कूल यूनीफार्म /16-17/ 3964 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(वि0अनु0शा0-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 31 ~~अप्रैल~~ मार्च,2017

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर,

एडीशनल कमिश्नर-ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0),

<u>वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।</u>

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर विद्यालयों एवं स्कूलों का नया सत्र प्रारम्भ होने वाला है। वाणिज्यिक क्रिया कलाप की दृष्टि से स्टेशनरी, स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, टाई, बेल्ट, बैज, डायरी आदि वस्तुओं का क्रय-बिक्रय अन्य किसी माह की अपेक्षा स्कूल सत्र के प्रारम्भ में अधिक होता है। कतिपय विद्यालयों में यह भी देखा गया है कि सत्र प्रारम्भ होने पर अपने ही प्रांगण में दुकान खुलवाकर उक्त वस्तुओं की बिक्री की जाती है जिसमें देय वाणिज्य कर अपवंचन की सम्भावना रहती है। प्रायः यह भी देखा गया है कि स्कूलों के प्रांगण में कुछ फर्मों की शाखा खोल कर क्रय-बिक्रय किया जाता है। अतएव उक्त वस्तुओं की व्यापक बिक्री के दृष्टिगत करापवंचन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के संबंध में आपसे अपेक्षित है कि अपने जोन में इस प्रकार का सम्व्यवहार करने वाली फर्मों / संस्थाओं को चिन्हित करते हुए एक अभियान के रुप में उनकी जॉच कराये जाने के निर्देश अपने अधीनस्थ अधिकारियों को देते हुए प्रभावी एवं परिणाम मूलक जॉच कराया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त अभियान से सम्बन्धित पाक्षिक प्रगति रिपार्ट मुख्यालय के विशेष अनुसंधान शाखा अनुभाग को संलग्न प्रारुप में उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराते हुये कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

31/03

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

O/C

स्टेशनरी, स्कूल ड्रेस आदि की जॉच सम्बन्धित प्रारुप (वि0अनु0शा0 यूनिट वाइज)

कम सं0	माह के प्रारम्भ में चिन्हित संस्थानों/ विद्यालयों /फर्मो की संख्या		माह में की गयी जांच	माह तक की गयी जांच	जांच के फलस्वरूप पाया गया अपवंचन	जमा धनराशि	अन्य विवरण
	माह में	माह तक					
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							